न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान –

1. गोपीराम पुत्र श्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी 4 जे.एस.डी.(ढाणी) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. नोपाराम पुत्र श्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी 4 जे.एस.डी.(ढाणी) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. बनवारी लाल पुत्र श्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी 4 जे.एस.डी.(ढाणी) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी 4 जे.एस.डी.(ढाणी) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
5. विमला देवी पुत्री श्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी 4 जे.एस.डी.(ढाणी) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

........प्रार्थीगण.........

बनाम-

1. आनन्दी पत्नी श्री रूपाराम जाति मेघवाल निवासी 4 जे.एस.डी. (ढाणी) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. जगदीश पुत्र श्री रूपाराम जाति मेघवाल निासी 4 जे.एस.डी.(ढाणी) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

......अप्रार्थीगण......

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या – 28/2019 निर्णय दिनांक – 30/09/2019

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

यह कि प्रार्थीगण के नाम से वाके चक 4 जे.एस.ड. का खाता संख्या 122 मु.नं. 156 प.नं. 131/374 का किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 22 का 2.961 है. कमाण्ड खातेरी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद है। जो कि प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जा काश्त में है। अप्रार्थीया आनन्दी के नाम से कृषि भूमि चक 4 जे.एस.डी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 156 पत्थर नं. 131/374 का किला

लगातार.........2

Priyanka
प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर
30/09/19

नं. 23 व 24 में कुल 0.506 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी एवं अप्रार्थी जगदीश के नाम से कृषि भूमि वाके चक 4 जे.एस.डी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 156 प.नं. 131/374 का किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में कुल 1.265 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी भूमि में आने जाने के लिए व कृषि यन्त्रों को लाने ले जाने के लिए, पिछले करीब 30 वर्षो से अप्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि के किला नं. 23, 24, 25 पूर्व से पश्चिम दिशा मे चल रहे रास्ते का उपयोग-उपभोग करते हुए अपनी कृषि भूमि को काश्त कर रहे है जो कि उक्त रास्ता मौका पर चालू है जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि में प्रवेश करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के किला नं. 23 व 24 एवं अप्रार्थी संख्या 2 के मु.नं. 156 प.नं. 131/374 का किला नं. 25 में रास्ता चल रहा है जो कि मु.नं. 156 के किला नं. 25 के पूर्व दिशा की ओर साथ चिपता हुआ मु.नं. 130/374 में से सड़क मु.नं. 130/374 के किला नं. 21 ता 25 तक आ रही है किन्तु इसके आगे प्रार्थीगण अपने रकबा मु.नं. 131/374 में किला नं. 25 तक आ रही सड़क से किला नं. 23 ता 25 में पूर्व से पश्चित प्रतिवादीगा संख्या 1 व 2 की मौखिक सहमति से करीब पिछले 30 वर्षो से रास्ता के रूप में उपयोग उपभोग करते हुए आ जा रहे है एवं अपने कृषि यन्त्रों को ला व ले जा रहे है उक्त किला नं. 25 तक आ रही सड़क से प्रार्थीगण के खेत में आने जाने व अपने कृषि यन्त्रों को लाने ले जाने के लिए कोई अन्य सुगम रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को भविष्य में पैदा होने वाली समस्याओं को बताते हुए उक्त भूमि को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत करवाने बाबत मौतबीरान व्यक्तियों को साथ लेकर दिनांक 03/05/2019 को कहा व कहा कि आपको रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में इसी मुरब्बा में स्थित अपनी भूमि में से भूमि के बदले में भूमि देने को हम तैयार है एवं यदि आप भूमि न लेकर भूमि का प्रतिफल नगद रूप में प्राप्त करना चाहे तो नगद रूप में भी वाजिब डी.एल. सी.दर अनुसार भुगतान करने के लिए तैयार है आप उक्त जगह को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत करवाने में हमारी मदद करें एवं अप्रार्थी संख्या 3 के समक्ष चल कर इस बाबत ब्यान आदि देवे तो अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया गया है और लडाई झगड़ा करने पर उतारू हो गये जिस कारण से प्रार्थी को माननीय न्यायालय की शरण में आना पड़ा हैं। प्रार्थीगण को यदि उक्त रास्त स्वीकृत नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अत्यधिक दूरी व परेशानियों का सामना करना पडेगा। जिससे प्रार्थीगण को भूमि काश्त करने एवं सिंचाई पानी लगाने सहित काश्त सम्बन्धित बिजाई, निराई, गुडाई, कटाई, फसल निकलवाई एवं मण्डी तक फसल विक्रय हेतु ले जाने व कृषि यन्त्रों को लाने ले जाने में भारी परेशानी होगी। एवं उक्त परेशानियों के कारण प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि काश्त करने से वंचित रह जायेगे व

लगातार.....3

Scanned by CamScanner

पैदावार नहीं हो सकेगी जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति एवं भारी असुविधा होगी जबकि उक्त जगह को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाने पर उसके बदले में इसी मुरब्बा की अप्रार्थीगण की भूमि के साथ चिपती भूमि देने के लिए प्रार्थीगण तैयार व तत्पर है एवं नगद प्रतिफल चाहने पर नगद प्रतिफल अदा करने के लिए भी तैयार व तत्पर है इसलिए अप्रार्थीगण को इसमें कोई असुविधा या क्षति नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के रकबा चक 4 जे.एस.डी. का मु.न. 156 प.नं. 131/374 के किला नं. 25 तक आ रही सड़क से आगे मु.नं. 156 के किला नं. 25 ता 23 में पूर्व से पश्चिम दिशा में 16, 1/2 फुट चल रहे रास्ता आम की भूमि को रास्ता आम स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता आम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित नहीं आये न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 4 जे.एस.डी. के मु. नं. 131/374 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 22 कुल 2.961 है. कमाण्ड कृषि भूमि संयुक्त खाते में गोपीराम, नोपाराम, बनवारी लाल, राजेन्द्र कुमार, विमला देवी पि. बुधराम के नाम से किला नं. नं 23, 24 कुल 0.506 है. आनन्दी पत्नी रूपाराम के नाम एवं किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 कुल 1.265 है. कमाड पोकर राम पुत्र रूपाराम के नाम एवं किला नं. 20, 21, 22 कुल 0.240 है. गैर मुमकिन रेलवे लाईन के नाम दर्ज है। इस मुरब्बा 131/374 के किला नं. 22 ता 25 में 16½ फुट (0.025 है.) पूर्व से पश्चिम की ओर कुछ वर्षो से चल रहा है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। यह रास्ता मुरब्बा के साथ चिपते पूर्व दिशा के मुरब्बा नं. 130/374 के किला नं. 21 ता 25 में चल रहे गैर मुमकिन रास्ता से जुड़ा हुआ है। प्रार्थीगण गोपीराम, नोपाराम वगैरा मु.नं. 131/374 के किला नं. 22 ता 25 में 16½ फुट (0.025 है.) रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। यह रास्ता जिन किला में चल रहा है उसमें किला नं. 22 प्रार्थीगण के नाम, 23, 24 आनन्दी पत्नी रूपाराम के नाम, 25 जगदीश पुत्र पोकर राम के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी की भूमि के निकटतम है। प्रार्थी के रकबा को चाहे गये रास्ता के अलावा

लगातार.....4

20/09/18

Scanned by CamScanner

अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम सुगम रास्ता नहीं दिया जा सकता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी के रक़बा के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी के रकबा के निकटतम और सबसे छोटा रास्ता है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाकर चक 4 जे.एस.डी. का मु.न. 156 प.नं. 131/374 के किला नं. 25 तक आ रही सड़क से आगे मु.नं. 156 के किला नं. 25 में 16, 1/2 फुट एवं किला नं. 24 प्रत्येक में 16½×16½ फुट पूर्व दक्षिण दिशा के कोने में रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थीगण रास्ते में आई भूमि के बदले मे अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को भूमि की वर्तमान अधिकतम डी. एल.सी. दर की दोगुणा राशि अदा करेगे। तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त रास्ते में आदेशानुसार पारित होने वाली भूमि की भली भाति पैमाईश की जाकर उक्त आदेशानुसार रास्ते की भूमि का मौके पर चिन्हीकरण करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराम करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 30.09.2019 मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Priyanka 20/09/19

(प्रियंका तलानिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2019.11.11 13:00:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: